प्रेस नोट

थाना खानपुर क्षेत्रान्तगर्त दिनांक 22.02.2021 को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्या काण्ड का, काइम ब्रांच व थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 22.02.2021 को प्रातः 06:35 बजे यूपी–112 पर ग्राम रामपुर थाना खानपुर पर सड़क के किनारे एक लहुलुहान व्यक्ति के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर थानाध्यक्ष खानपुर द्वारा पहुच कर देखा गया तो एक व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था तथा सासें चल रही थी। घायल व्यक्ति के दाहिने हाथ में 01 अदद देशी पिस्टल तथा बाये पैर के घुटने के पास 01 अदद पिस्टल एवं 01 अदद मोबाइल फोन पड़ा था। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु वाराणसी ले जाया जा रहा था, इसी दौरान घायल व्यक्ति के परिजन भी मौके पर आ गये जिनके द्वारा घायल व्यक्ति का नाम अजय कुमार यादव पुत्र राम प्रताप यादव नि0 ग्राम बभनौली कलां अमवातर थाना खानपुर गाजीपुर के रूप में तस्दीक हुआ। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मृतक के पिता के तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 34/2021 धारा 302 भादवि थाना खानपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के कुशल नेतृत्व में काइम ब्रांच व थाना खानपुर व नि0 विश्वनाथ यादव प्रभारी अपराध थाना सैदपुर की टीम गठित की गयी। मृतक के मोबाइल के कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया तो अन्तिम कॉल लगभग 28 मिनट की दिनांक 22.02.2021 को समय प्रातः 03:47 बजे की थी, तथा मृतक के मोबाइल में ही एक कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र मिला, जिसमें मृतक का पता तथा लड़की का नाम सानिया पुत्री राजेश सिंह निवासी ग्राम इचवल थाना खानपुर था तथा लड़की का फोटो भी लगा था।

इस सन्दर्भ में तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा राजेश सिंह के मकान के चारो तरफ एवं घटना स्थल के आसपास कॉम्बिंग करायी गयी। तकनिकी सहयोग एवं सर्विलांस की मदद ली गयी। इसी कम में दिनांक 23.02.2021 को लड़की के घर तस्दिक करने पहुची पुलिस टीम को लड़की के घर पर कोई नही मिला तो पुलिस टीम विवेचना हेतु रामपुर की तरफ थे, सूचना मिली कि राजेश सिंह नि0 ग्राम इचवल के घर के सामने बने बरदान से सटे खेत में लड़की लाश मिली, जिसकी पहचान पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुच कर किया गया तो यह वही लड़की थी जो मृतक अजय कुमार यादव के साथ कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन में लगी फोटो मे थी। पुलिस टीम द्वारा राजेश सिंह के घर के आसपास पूर्व में कॉम्बिंग किया गया था लेकिन कुछ नही मिला था। घटना के अनावरण हेतु डिजिटल साक्ष्यों एवं सुरागरसी/पतारसी के आधार पर आज दिनांक 25.02.2021 को पुलिस टीम द्वारा ग्राम इचवल पहुच कर मृतक लड़की के पिता से पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन पिता द्वारा सही जानकारी न देकर पुलिस टीम को गुमराह किया जा रहा था लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर पिता द्वारा जुर्म कबूल किया गया।

पूछताछ में बताया गया कि करीब एक माह पहले की बात है मुझे मेरी पत्नी नीलम सिंह और लड़के दीपक सिंह से पता चला कि मेरी लड़की सानिया सिंह है जो अजय कुमार यादव नि0 बभनौली के बीच प्रेम–प्रसंग चल रहा है तथा दोनो 02 साल पहले कोर्ट मैरिज कर लिये है। मैं अपनी लड़की को बुलाकर काफी समझाया बुझाया लेकिन लड़की नही मानी। दिनांक 15.02.2021 को पता चला कि लड़का अजय कुमार यादव जो पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर है वह छुट्टी लेकर घर आया है तो मेरा पूरा परिवार बैठकर योजना बनाये कि लड़के को घर बुलाकर समझाते है,यदि मान गया तो ठीक है,नही तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। जिसके कम मे दिनांक 22.02.

2021 को लड़की के पास बैठकर उसी के मोबाइल फोन से मैसेज कराया कि मिलने आ जाओ, इसी बीच मेरे अपनी लड़की को समझाया जा रहा था, लेकिन वह नही मान रही थी, जिससे आवेश में आकर मेरे द्वारा अवैध असलहे से गोली मार दिया गया। कुछ देर बाद लड़का भी हमारे घर पर पहुच गया जिसे समझाने की कोशिश करने पर ऊची आवाज में बात करने लगा, जिसपर तय हुआ कि कही एकांत जगह पर चलकर बात करते है। हम लोगों द्वारा ग्राम रामपुर पहुच कर अम्बिका स्कूल के पास युवक को समझा–बुझा रहे थे लेकिन लड़का नही मान रहा था जिससे आवेश में आकर मेरे द्वारा गोली मार दी गयी। इसके पश्चात लड़की का मोबाइल जो मेरे पास था उसे मैने अजय कुमार यादव के जेब में डालकर तथा पिस्टल हाथ मे पकड़ा दी गयी। सुबह मैने आस–पास मे शोर कर दिया गया कि मेरी लड़की बिना बताये कही चली गयी, तथा पकडें जाने की डर से अपनी लड़की के शव को घर के सामने ही बने बरदान के पीछे खेत में फेक दिये।

<u>बरामदगी</u>ः–

01. 02 अदद पिस्टल।
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस .765 एमएम।
03. 01 अदद खोखा कारतूस .765 एमएम मृतका के घर से ।
04. 01 जोड़ी चप्पल मृतक का लड़की के शव के पास से।
05. 02 अदद मोबाइल फोन मृतक और मृतका का।
06. 01 अदद मो0सा0 यूपी61एसी5834।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>ः–

1. राजेश सिंह पुत्र अवधराज सिंह नि0 ग्राम इचवल थाना खानपुर गाजीपुर।
2. अंकित सिंह उर्फ सानू पुत्र संजय सिंह नि0 ग्राम इचवल थाना खानपुर गाजीपुर।
3. दीपक सिंह पुत्र राजेश सिंह नि0 ग्राम इचवल थाना खानपुर गाजीपुर।
4. अवधराज सिंह पुत्र स्व0 देव प्रसाद सिंह नि0 ग्राम इचवल थाना खानपुर गाजीपुर।
5. नीलम सिंह पत्नी राजेश सिह नि0 ग्राम इचवल थाना खानपुर गाजीपुर।

<u>पुलिस टीम</u>ः–

1. नि0श्री विश्वनाथ यादव प्रभारी अपराध थाना सैदपुर गाजीपुर।
2. नि0 विनीत राय, प्रभारी स्वाट टीम/सर्विलांस सेल, गाजीपुर।
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष खानपुर, गाजीपुर।
4. उ0नि0 श्री कृष्णानन्द यादव, प्रमोद कुमार सिंह थाना खानपुर, गाजीपुर।
5. हे0का0प्रो0 संजय कुमार पटेल, का0 संजय प्रसाद, हे0का0 संजय सिह रजावत, हे0का0 अमित सिंह, विकास श्रीवास्तव, दिनेश यादव सर्विलांस सेल, गाजीपुर।
6. हे0का0 रामभवन, हे0का0 राम प्रताप सिंह, हे0का0 विनय यादव, हे0का0 भाईलाल, का0 राम प्रताप सिंह, का0 आशुतोष सिंह, चन्दन मणि त्रिपाठी स्वाट टीम गाजीपुर।
7. हे0का0 वंशराज दूबे, का0 कुन्ज बिहारी, का0 अजय यादव म0का0 रोली सिंह, थाना खानपुर गाजीपुर।